अब 31 जुलाई तक भेजे इंस्पायर अवार्ड मानक के अंतर्गत नामांकन

भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलजी बिभाग द्वारा इंस्पायर अवार्ड स्कीम के अंतर्गत जिला के लगभग 410 स्कूलों का पंजीकरण हुआ है इसके लिए बिभाग द्वारा 30 जून अंतिम तिथि निर्धारित की गयी थी परन्तु इसमें अभी तक 202 स्कूलों के बच्चो के नामांकन पहुंचे है सबसे कम प्राइवेट स्कूलों ने नामांकन भेजे है इसके लिए अब 31 जुलाई अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है

स्कूली छात्र-छात्राओं में विज्ञान के प्रति दिलचस्पी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित इंस्पायर अवार्ड मानक कार्यक्रम की प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया गया है। अब छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के तौर पर दस हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। पहले पांच हजार रुपये मिलते थे। गत वर्ष लगभग 68 बच्चों को दस हजार रूपये की राशी प्रति छात्र उनके सीधे खाते में डाली गयी है और 14 बच्चे राज्य स्तर प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए थे और दो बच्चो के मॉडल नेशनल लेवल प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए है।

सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि को इस मकसद से बढ़ाया गया है, जिससे छात्र-छात्राएं इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित होने पर छात्र-छात्राओं को बीस हजार रुपये प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाएंगे। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी।

इसके अलावा अब राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने पर एनआईटी (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के गाइड मॉडल बनाने में छात्र-छात्राओं की सहायता करेंगे। इंस्पायर अवार्ड मानक के तहत अब शर्त यह रहेगी कि स्कूलों का चयन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद की ओर से किया जाएगा। स्कूल प्रशासन की ओर से चयनित होने के नॉमिनेशन भरना होगा।

यह है इंस्पायर अवार्ड मानक

इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत स्कूल प्रशासन को पहले स्कूल स्तर पर बच्चो के नवीनतम बिचारों का चयन किया जाता है ऐसे बिचार जो समाज की समस्याओं का हल करे उनका ऑनलाइन नोमिनेशन भरना पड़ता है। इसके बाद चयनित स्कूल जिला स्तरीय मॉडल प्रदर्शनी में विज्ञान से जुड़े मॉडलों को प्रदर्शित करते हैं। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के बाद राज्य स्तर के लिए चयन होता है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के बाद दस प्रतिशत छात्र-छात्राओं का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए होता है। अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयन होने पर छात्रों को उच्च कोटि के संसथान में प्रवेश के समय 6 अंक अतरिक्त बोनस के रूप में दिए जायेंगे। इस स्कीम को माननीय प्रधानमन्त्री द्वारा "Start Up India" कार्यकरम के साथ जोड़ा गया है अत;सभी सरकारी व् गैर सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्योऔर मुख्याध्यापको को निर्देश दिए जाते है कि वे अंतिम तिथि से पहले पात्र छात्रो के नामांकन भेजें। अनुपालना न करने पर बिभागीय कार्यबाहीहोगी और प्राइवेट स्कूलों की मान्यता भी रद्द हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए जिला नोडल अधिकारी श्री प्रदीप सिंह से सम्पर्क कर सकते है।

डिप्टी डायरेक्टर,
हायर एजुकेशन ऊना,
जिला ऊना (हि.प्र.)